



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1824]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2010/भाद्र 10, 1932

No. 1824]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2010/BHADRA 10, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2145(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी त्रिपुरा, अगरतला के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण त्रिपुरा राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, West Tripura, Agartala as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Tripura.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

का.आ. 2146(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीमापुर के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण नागालैण्ड राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Dimapur as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Nagaland.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2366]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 2013/आश्विन 16, 1935

No. 2366]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2013/ASVINA 16, 1935

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2013

**का.आ. 3052(अ).**—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री कोम्युओ लोसो जॉन, अधिवक्ता को नागालैंड राज्य में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय अथवा संशोधन न्यायालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की ओर से मुकदमेबाजी के लिए विशेष लोक अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-VI (IV)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2013

**S.O. 3052(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Komuo Loso John, Advocate as Special Public Prosecutors for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before any trial court or appellate court or revisional court established by law in the territory of the State of Nagaland.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

4324 GI/2013

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2013

**का.आ. 3053(अ).**—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री पी. जी. मनु, अधिवक्ता को केरल राज्य में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय अथवा संशोधन न्यायालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की ओर से मुकदमेबाजी के लिए विशेष लोक अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-VI (IV)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2013

**S.O. 3053(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. G. Manu, Advocate as Special Public Prosecutors for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before any trial court or appellate court or revisional court established by law in the territory of the State of Kerala.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

(1)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2012

**S.O. 1944(E).**— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Dimapur as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Nagaland vide notification number S. O. 2146 (E), dated the 1<sup>st</sup> September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri S. Hukato Swu, District and Sessions Judge, Dimapur, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri S. Hukato Swu, District and Sessions Judge, Dimapur as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]  
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1945(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, आइजोल को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2147 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मिजोरम राज्य था;

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, के माननीय मुख्‍ये न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री पु टी. सैकुन्गा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आइजोल के नाम की संस्तुति की है;

Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Assam vide notification number S. O. 2215 (E), dated the 1<sup>st</sup> September, 2009;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri H. K. Sharma, District and Session Judge, Kamrup, Guwahati, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri H. K. Sharma, District and Sessions Judge, Kamrup, Guwahati as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1944(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दीमापुर को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2146 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण नागालैण्ड संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री एस. हुकातो स्वू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीमापुर के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एस. हुकातो स्वू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीमापुर को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव